संख्या-25/2016/ 888/38-4-16-05(बजट)/2012

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक: 29 जुलाई,2016**

विषय:- लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत दिशा-निर्देशों में संशोधन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में पत्र संख्या-814/वि0का0/लो0ग्रा0आ0यो0/2016 दिनांक 21-07-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रस्ताव का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- लोहिया ग्रामीण आवास योजना के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक-20 फरवरी, 2013 द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देशिका के क्रम में शासनादेश संख्या-30/2015/1138/38-4-14-05(बजट)/2015, दिनांक-14 सितम्बर, 2015 एवं शासनादेश संख्या-22/2016/835/38-4-15-05(बजट)/2012, दिनांक-20 जुलाई,2016 द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देशों के संदर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने वाले लोहिया ग्रामीण आवासों का निस्तारण एवं मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 08-03-2016 को विधान मण्डल की कार्यवाही के दौरान मा0 विधान मण्डल के सदस्यगणों की संस्तुति पर 10 लोहिया आवास गरीब लाभार्थियों को दिये जाने सम्बन्धी घोषणा के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत लाभार्थियों के चिन्हांकन हेतु मार्ग-निर्देशिका दिनांक 20 फरवरी, 2013, 14 सितम्बर,2015 एवं 20 जुलाई,2016 के क्रम में निम्नानुसार संशोधित दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाते है:-

3- <u>जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे गये लोहिया आवास</u>

(क)- जनपद में लोहिया समग्र ग्रामों के लिए आवंटित कुल लोहिया आवासों का 10 प्रतिशत अंश अतिरिक्त रूप से जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखा जायेगा। उदाहरणार्थ यदि किसी जनपद में 25 समग्र ग्राम हों तो 25×25=625+62.5=687.5 अर्थात् 688 लोहिया ग्रामीण आवासों का लक्ष्य आवंटित किया जायेगा। जिलाधिकारी के निर्वतन पर रखे गये लोहिया ग्रामीण आवासों के लक्ष्य में से जनपद के सभी मा0 सदस्य विधान सभा/विधान परिषद के सदस्यगण 10-10 आवास अपनी संस्तुति पर दे सकते हैं। मा0 सदस्य विधान सभा के सदस्यगण अपने निर्वाचन क्षेत्र के ही 10 पात्र परिवारों की सूची अपनी संस्तुति के साथ संबंधित जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। यदि किसी मा0 सदस्य विधान सभा का निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जनपद में आता हो, तो अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुख्यालय के जनपद के जिलाधिकारी को संस्तुति सहित सूची उपलब्ध करायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मा0 सदस्य विधान परिषद अपनी 10 पात्र परिवारों की सूची अपने निर्वाचन क्षेत्र वाले मुख्यालय के जनपद के जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जनपद में मा0 विधायकों की संख्या के सापेक्ष प्रति सदस्य 10 आवास के हिसाब से आंकलित संख्या यदि जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे गये आवासों की संख्या से अधिक होती है तो उक्त सीमा तक उस जिले के लक्ष्य में वृद्धि की जायेगी।

(ख)- यदि किसी लोहिया समग्र ग्राम में लोहिया ग्रामीण आवास के लिए 25 लाभार्थी भी पात्र न हों तो 25 में से अवशेष लोहिया आवास भी जिलाधिकारी के निस्तारण पर आवंटित होंगे।

(ग)- जिलाधिकारी के निस्तारण पर रखे गये लोहिया ग्रामीण आवासों का आवंटन निम्नानुसार किया जायेगा:-

(1) मा0 सदस्य विधान सभा/विधान परिषद के सदस्यगण की संस्तुति पर दिये जाने वाले आवास-

(I) <u>लोहिया समग्र ग्राम</u>

(अ)- लोहिया समग्र ग्रामों में ऐसे परिवारों को आवास आवंटित हो सकेंगे, जिनका नाम सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हित पात्र परिवारों की सूची में हो।

(2) जिलाधिकारी के निवर्तन पर उपलब्ध आवासों में से मा0 सदस्य विधान सभा तथा विधान परिषद के सदस्यगण की संस्तुति पर आवंटित आवासों के पश्चात् अवशेष आवासों का आवंटन निम्नानुसार किया जायेगा-

<u>लोहिया समग्र ग्राम</u>

(अ)- लोहिया समग्र ग्रामों में ऐसे परिवारों को आवास आवंटित हो सकेंगे, जिनका नाम सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हित पात्र परिवारों की सूची में हो।

(II) <u>गैर लोहिया समग्र ग्राम</u>

(अ)- ऐसे ग्रामों में ऐसे परिवारों को आवास आवंटित हो सकेंगे, जिनका नाम सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हित पात्र परिवारों की सूची में हो।

4- प्रत्येक जिले में सामान्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक परिवारों हेतु लोहिया ग्रामीण आवासों के लक्ष्य का निर्धारण आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा किया जायेगा।

5- कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- /2016/888(1)/38-4-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ।
2- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।
3- प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।
4- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
5- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
6- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
7- निदेशक, उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण(यूपी नेडा), विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।
8- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
11- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
12- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
13- समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
15- नेशनल इन्फार्मेशन सेण्टर, उ0 प्र0 राज्य शाखा योजना भवन, लखनऊ।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

पी0एन0 त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।